भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 63

(जिसका उत्तर शुक्रवार, दिनांक 2 फरवरी, 2018/ 13 माघ, 1939 (शक) को दिया जाना है।)

सीबीडीटी एवं सीबीईसी में कैडर- पुनर्गठन

63. डॉ. उदित राज:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत सभी विभागों/कार्यालयों ने भारत सरकार के दिनांक 10.08.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/45/2005-ईएसटीटी (आरईएस) को कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन विभागों/कार्यालयों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उपर्युक्त कर्यालय ज्ञापन का कार्यान्वयन नहीं किया है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सीबीडीटी एवं सीबीईसी में गत कैडर पुनर्गठन के दौरान उक्त कार्यालय ज्ञापन को कार्यान्वित किया गया था तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उन अधिकारियों के पदों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त कार्यालय ज्ञापन का कार्यान्वयन नहीं किया है; और

(ड.) उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन का कार्यान्वयन नहीं करने के लिए क्या संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

(क) एवं (ख) : जी हां। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) एवं केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार के दिनांक 10.08.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/45/2005- स्था.(आरईएस) का 30.09.2016 तक व्यापक रूप से अनुसरण किया गया है। तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 30.09.2016 के का.ज्ञा.सं.36012/11/2016- स्था.(आरईएस) के तहत अनुदेश जारी किये हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय में इस विषय पर लंबित विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) में निर्णय लिये जाने तक, पदोन्नति पर विचार करते समय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10.8.2010 के ज्ञापन पर निर्भर नहीं किया जाना चाहिए।

(ग) से (ड.) : संवर्ग पुनर्गठन की प्रकिया में केवल विभागों में विभिन्न ग्रेड में पदों की संख्या में परिवर्तन किया गया है। इस प्रकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10.08.2010 के का.ज्ञा.सं. 36012/45/2005- स्था (आरईएस),जो केवल पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में है, संवर्ग पुनर्गठन को प्रभावित नहीं करता है।

******